


राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 348 / 2009 .....जिला.....कोटा.....

उपनाम- मैसर्स बुन्दी सिलिका रोन्ड सम्लार्ड कम्पनी, कोटा बनाम सीटीओ, सर्किल - ए, कोटा

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज
22.04.2015	<p style="text-align: center;"><u>एकलपीठ</u> <u>श्री मनोहर पुरी - सदस्य</u></p> <p>अपीलार्थी अभिभाषक श्री एम एल पाटौदी व विभाग की ओर से उपराजकीय अभिभाषक श्री अनिल पोखरना उपस्थित।</p> <p>अपीलार्थी/अभिभाषक द्वारा हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि विचाराधीन प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा घोषित एमेनेस्टी योजना, 2015 का व्यवसायी लाभ लेना चाहते हैं। इस हेतु अपीलार्थी/अभिभाषक प्रकरणों को वापस लेना/(Withdraw) करना चाहते हैं।</p> <p>इस पर विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने प्रस्तुत अपील को विद्वान करने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की गयी।</p> <p>फलस्वरूप अपीलार्थी/अभिभाषक के पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र के आधार पर उपरोक्त हस्तगत अपील को विद्वान करने की अनुमति दी जाती है। अतः प्रस्तुत अपील जरिये विद्वान खारिज की जाती है।</p> <p>आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;"> ( मनोहर पुरी ) सदस्य</p>

अपील नं. 348/2009  
जिला कोटा  
कोटा सीटीओ  
के पास है